भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **1844**

दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 / 18 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना

1844. डॉ.बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

श्री एम.वी.वी सत्यनारायण:

श्री पोचा ब्रहमानंद रेड्डी:

श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की गई है;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और घरेलू मूल्यवर्धन में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) जी हां। भारत में ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों की, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विवरण निम्नानुसार है:

(i) भारतीय विनिर्माताओं को, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के भारत में मूल्यसंवर्धन के आधार पर 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी गणना, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों (जीएसटी का नेट) से होने वाले वार्षिक बिक्री राजस्व (जीएसटी का नेट) में से ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों की खरीद लागत को घटाकर की जाती है। यह प्रोत्साहन 2021-22 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों में दिया जाना है।

(ii) कोई विनिर्माता अपने मूल्यसंवर्धन के 20% तक पीएलआई का दावा कर सकता है। पीएलआई दर सभी तीन वर्षों के लिए 20% ही है।

(iii) न्यूनतम मूल्यसंवर्धन, कुल बिक्री के 40% के रूप में निर्दिष्ट है।

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड, ड्रोन विनिर्माताओं के संबंध में वार्षिक बिक्री राजस्व का 2 करोड़ रुपए और ड्रोन कलपुर्जों के विनिर्माताओं के संबंध में वार्षिक बिक्री राजस्व का 50 लाख रुपए के रूप में निर्दिष्ट है।

(v) लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, प्रति लाभार्थी पीएलआई की सीमा, कुल वार्षिक परिव्यय के 25% तक सीमित की गई है।

(vi) यदि कोई विनिर्माता, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए, मूल्यसंवर्धन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर पाता है, तो विनिर्माता को, आगामी वर्ष में अप्राप्त प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति दी जाएगी, यदि विनिर्माता आगामी वर्ष में कमी को पूरा कर लेता है।

(ग) और (घ) पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन केवल घरेलू मूल्यसंवर्धन पर लागू होता है और यह विनिर्माताओं को इस क्षेत्र में आयात कम करने एवं क्षमता में वृद्धि करने और मूल्यसंवर्धन के लिए प्रोत्साहित करेगा।

*****